



फोटो

कम्प्यूटर द्वारा जारी लाभपत्र पहचान कोड नं०.....

**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा  
लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता के लिये आवेदन-पत्र**

जिला ..... खण्ड/शहर ..... ग्राम/वार्ड ..... आवेदन तिथि .....

1. माँ का नाम .....  
(अगर माँ जीवित है, तो भत्ते की राशि माँ के खाते में जायेगी)
2. आवेदक का नाम (यदि मां जीवित नहीं हैं) .....
3. आवेदक के पिता/पति का नाम श्री.....पुत्र श्री.....
4. आवेदक की जन्म तिथि/आयु ..... आयु.....  
(जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करें)
5. पूर्ण स्थाई पता .....

डाक पिन कोड

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. आधार कार्ड संख्या(आवश्यक है) 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7. आप के गांव/वार्ड में लाभपत्र पेंशन किस माध्यम से प्राप्त कर रहे है ? उस माध्यम के बैंक/डाकखाने/बी०सी०ए० के पास खाते का विवरण दें। बैंक/डाकखाने का नाम ..... शाखा ..... आई०एफ०एस०सी०कोड ..... खाता संख्या .....
8. कैटागिरी एस०सी०  बी०सी०  सामान्य
9. आवेदक के बच्चों का पूर्ण विवरण

नाम	जन्म तिथि (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	पुरुष/महिला
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

10. गरीबी रेखा सूचि संख्या/ सामाजिक आर्थिक जातीय गणना संख्या .....
11. क्या आवेदक हरियाणा राज्य का अधिवासी है ? हां  नहीं
12. परिवार की सभी साधनों से वार्षिक आमदनी। .....
13. मोबाईल फोन नं० 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

## शपथ

मैं, श्री/श्रीमती/कु0 ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री .....

निवासी .....

सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिया गया विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास अनुसार ठीक एवं सत्य है। मेरा कोई पुत्र नहीं है या कोई लड़का गोद नहीं लिया गया है, यदि मेरे द्वारा गलत तथ्य बताकर भत्ता प्राप्त किया गया है तो सरकार को मेरी सभी प्रकार की पेंशन/भत्ता राशि बन्द करने व 12 प्रतिशत ब्याज सहित प्राप्त की गई राशि को वसूल करने का अधिकार होगा। मेरी भत्ता आई0डी0 के साथ, मेरी आधार संख्या को जोड़ने व बैंकों/सरकारी विभागों के साथ सूचना सांझा करने पर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि मेरे द्वारा तीन मास में एक बार भत्ता राशि बायोमैट्रिक पद्धति/डेबिट वाऊचर से नहीं निकलवाई जाती है या फिर जीवन प्रमाणपत्र नहीं दिया जाता है तो विभाग को मेरी भत्ता बन्द करने व मेरे खाते में जमा भत्ता राशि को वापिस लेने का अधिकार होगा।

सत्यापन (सम्बन्धित सरपंच/नम्बरदार/वार्ड पार्षद/राजपत्रित अधिकारी द्वारा) आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान  
नाम ..... पद .....

## लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता

तिथि.....

हस्ताक्षर .....

खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी/

सचिव, नगर निगम/नागरिक सेवा केन्द्र(CSC)

नाम.....

पद.....

नोट :- पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में प्रार्थी को रसीद देवें एवं आवेदन-पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय को अग्रेषित करें अन्यथा आवेदन-पत्र कारण सहित प्रार्थी को वापिस लौटायें।

(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)  
जिला समाज कल्याण अधिकारी का निर्णय

स्वीकृत

अस्वीकृत

नोट:- यदि आवेदन फार्म अस्वीकृत किया है तो अस्वीकृति का कारण देवें.....

तिथि .....

हस्ताक्षर .....